

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

> कम्प्यूटर मशीन तथा लेपटॉप सप्लाई हेतु ई—बोली दस्तावेज (प्रपत्र शुल्क 500 रूपये)

> > ई-बोली आमंत्रण पत्र

Director, Social Justice and Empowerment Department Jaipur.
www.raj.sje@rajasthan.gov.in

फोन-0141-2220194 ई-मेल-<u>ada.sje@rajasthan.gov.in</u> website:www.raj.sje@rajasthan.gov.in sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in

and n & str

कम्प्यूटर मशीन सप्लाई हेतु ई-बोली दस्तावेज

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	बिड सूचना	
2	निविदा प्रपत्र एवं तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र	
3	निविदा की सामान्य नियम एवं शर्ते	
4	निविदा की विशेष शर्तें	
5	वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र	
6	учя A-E	

Como n 8 1 / 79.1

क्रमांकः स्टोर/सान्याअवि/2021-22/न्नि जयपुर, दिनांकः १६-२-२०२७

खुली ई-बोली सूचना-

निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये 94 कम्प्यूटर वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना में 94 कम्प्यूटर मशीन एवं 5 लेपटॉप क्रय किये जाने हेतु जारी खुली ई—बोली आमन्त्रित की जाती है।जिनकी अनुमानित लागत/व्यय 74.50

अतः अधिकृत डीलर्स एवं प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से दर खूली ई—बोलियाँ के माध्यम से

आमंत्रित की जाती हैं।

ली	ई-बोली का विवरण निम्न प्रका	₹ :-
	कार्यालय का नाम	निर्देशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विनार
2.	कार्य	94 कम्प्यूटर मशीन एवं 5 लेपटॉप क्रय बाबत
3	अनुमानित राशि	74.50 लाख रूपये
4	प्रपत्र शुल्क	500 रू. का डी०डी० / बैंकर्स चैक अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में देय
5	बिड के साथ संलग्न अमानत/धरोहर राशि (2%)	रू. 1,49,000 / — डी०डी० / बैंकर्स चैक अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में देय
6	बिड आवेदन प्राप्त करने / डाउनलोड की अंतिम तिथि, समय व स्थान	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपन्न sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in अथव raj.sje@rajasthan.gov.in से डाउनलोड अथवा भण्डारपाल क.न, 02, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से (कार्यालय समय में) दिनांक 24.02.2023 दोपहर 02.00 बजे वक पाप्त कर सकते हैं।
7	आर.आई.एस.एल. शुल्क	बोलीदाता द्वारा अपने प्रस्ताव के साथ रू. 1500/- का डी0डी0/बैंकर्स चैक जो "MD, RISL, Jaipur" के नाम देय हो भी प्रस्तुत करना होगा।
8	प्री–बीड बैठक	दिनांक 20.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे
9	बिड आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समय व स्थान	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र ऑनलाईन eproc.rajasthan.gov.in पॉर्टल पर दिनांक 24.02.2023 दोपहर 3.00 बजे तक अपलोड कर सकते हैं।
10	तिथि व समय	24.02.2023 दोपहर 4.00 बजे तक।
11	तकनीकी बोली खोलने का स्थान	निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

and 2 8 2 3/2 16.1

- 1. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करना है। नियत अंतिम तिथि/समय से पूर्व निर्धारित प्रपत्र का शुल्क, बिड प्रतिभूति व आर.आई.एस.एल. शुल्क इस हेतु नियत समयाविध में कार्यालय के कमरा नं0 210 में मूल जमा कराने होगे। ऑनलाईन फॉर्म के साथ इन्हें स्केन किया जाकर ही अपलोड किया जाना है। नियत समय तक उक्त शुल्कों से सम्बन्धित रसीद/बैंकर्स चैक/डी०डी० प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2. निर्धारित समय तक अपलोड बोलियां (टेक्नीकल बिड) दिनांक 24-02-2023 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। वित्तीय बिड़ निर्धारित BOQ में ऑनलाईन भरी जानी हैं।केवल तकनीकी बिड में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय बिड डाउनलोड की जावेगी।

3. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस बोली आमंत्रण पर लागू होगे। इस डॉक्यूमेंट व उक्त अधिनियम / नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम / नियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेगें।

4. उक्त ई—बोली आमंत्रण सूचना का पोर्टलwww.sppp.rajasthan.gov.in व raj.sje@rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.inपर भी अवलोकन किया जा सकता है।

अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

out 2 8 2

BIDFOR Computer Machine And Laptop

Part-A

This bid is being invited under single stage two cover bid system. Techcnical & Financial bids should be filled and submitted online as per the schedule given below:

1	Bidding Authority & Address	The Addl. Director, Social Justice and			
		Empowerment Department, Jaipur(Raj.)			
2	Telephone	0141-220194			
	Website	www.raj.sje@rajasthan.gov.in			
		Date	Time	Place	
3	A. Bid form obtained upto	24.02.2023	02:00 PM	Room no 02 Social Justice and	
	B. Bid form online submitted upto	24.02.2023	03:00 PM	Empowerment Department, Jaipur	
4	Opening of bid :-				
	A. Technical Bids	24.02.2023	04:00 PM	Social Justice and Empowerment Department, Jaipur	
	B. Financial Bid	opened w	tho are de The date and	ose bidders shall be eclared technically time of opening of intimated to such	

The bid (Technical & Financial) should be uploaded according to the schedule given above. Bids will be short listed on the basis of technical bids.

out 3 8 2 5 79.1

Technical Bid Form Computer with man etc

Bidder information

S.N.	Particulars	Information to be filled by the bidder	Page No.
1.	Name & Postal address of the firm submitting the bid		
2.	Nature of Firm (Proprietor/Partnership/Company)		
3.	Name of the authorized person		
4.	Telephone Numbers (Office/Mobile/Fax)		
5.	Email Id		
6.	Firm Registration No.		
7.	AnnualTurn Over (Amount in lacs)	2019-20: 2020-21: 2021-22:	
	Annual Average Turn Over(Last three financial year)		
8.	PAN		
9.	GST Registration No.		
10	Work Experience in years.		
11	Work order of state govt/Central govt/Autonomous body/PSU in any of the last three years (one work order Ten lac or more should be must) (Mention Order No., Date and amount)		
12	Bid document fee Rs.500/- in form of receipt/bankers cheque/DD payable to Addl. Director S.J.E.D. Jaipur (Mention NO.,Date and Amount)		
13	RISL fee (1500/-) in form of receipt/bankers cheque/DD payable to MD, RISL, Jaipur (Mention No, Date and amount)		
1.	4 Bid Security @ 2% (149000/-) in form of receipt/bankers cheque/DD payable to Addl. Director S.J.E.D. Jaipur (Mention NO., Date and Amount) Relevant documents in support of the abo		

1. Relevant documents in support of the above information have been uploaded under

Sunt

8 2 b 70.

Signature and seal of the firm.

- 3. Goods will be delivered within a period of 5 days from the date of the issue of order.
- 4. The duration may be reduced in emergency circumstances.
- 5. The bid shall remain valid for 90 days from the date of opening of technical bid.
- 6. The rates quoted are valid for one year from the date of issuing of the rate contract. The period of contract can be extended with mutual agreement as per the provisions of RTPP rules.

7. Authorization of manufacturer/Distributor/Dealer etc. is also enclosed.

Signature of bidder with seal

out 2 8 7

G-1

-: खुली बोली / दर संविदा की सामान्य शर्ते :-

(बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपने प्रस्ताव भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना होगा।)

1. ई—बोली प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। बोली दाता द्वारा तकनीकी बिड हेतु यह प्रपत्र मय संलग्नक व वांछनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए (मय सील) eproc पोर्टल पर अपलोड करनी है। वित्तीय बिड ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती हैं, कि ई—टेंन्डरिंग प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी e-Procurementपोर्टल पर उपलब्ध" Bidder Manual " से प्राप्त की जा सकती है।

3- ई—टेंन्डरिंग प्रक्रिया के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण हेतुDepartment of Information Technology & Communication, Government of Rajasthanविभाग द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इच्छुक बोलीदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु e-Procurement Cell, DoIT&C में रिजिस्ट्रेशन करवा सकता है।Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.in Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

4. इच्छुक आवेदक को बिड हेतु DOIT विभाग के निर्देशानुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग में लेना

 यह ध्यान रखा जावे कि तकनीकी बिड के साथ यदि वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण दृष्टिगत होती है तो ऐसे प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा।

6. निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को ऑनलाईन खोला जाकर निम्न मापदण्ड के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :--

a. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) व आर.आई.एस.एल. फीस की

b. हस्ताक्षरित ई-बोली प्रपन्न, शर्ते मय आवश्यक दस्तावेज व संलग्नक ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

c. लघु उद्योग के मामलों के उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण—पत्र। इस बोली आमंत्रण में राजस्थान राज्य के एम.एस.एम.ई. उपक्रम भाग ले सकते हैं यदि वे वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार इस बोली में भाग लेने हेतु योग्य है।

7. बोली आमंत्रण प्रपन्न में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव उचित रूप में ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत

8. ''वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाऍ:- निविदा सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी।

9. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

10. संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित नामा प्रस्तुत नहीं कर देतें। प्राप्ति स्वीकृति के

Sunt 3 8 1 8 1 70-1

लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

- 11. GST पंजीयन :- कोई भी बोलीदाता यदि उस राज्य में प्रचलित, जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह प्रस्ताव नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए
- 12. बोली दाता फर्म अथवा मालिक का PAN कार्ड की फोटो प्रति संलग्न की जानी है।
- 13. बोली दाता फर्म को सम्बन्धित कार्य का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु फर्म राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अर्द्धसरकारी/उपक्रम में ऐसे कार्य का न्यूनतम राशि 10 लाख का एक क्रयादेश / भुगतान संबंधी प्रमाण की प्रति संलग्न करें।
- 14. आवेदक बोली प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर मय मोहर ऑनलाईन अपलोड करेगा।
- 15. आईटमवार दर ऑनलाईन BOQ में दिए गए फॉर्मेंट में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में वित्तीय बिंड प्रस्तुत किए जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 16. क्यादेशानुसार दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु केन्द्रीय/राजस्थान GST को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के आदेशानुसार परिसरों पर दी जायेगी।
- 17. आवेदनकर्ता फर्म का कार्यालय जयपुर में होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
- 18. विधिमान्यता :- प्रस्तुत दरें तकनिकी बोली खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- 19. सफल आवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
- 20. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगें।
- 21. उपापन अधिकारी को बिना किसी कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
- 22. विनिर्देश :- प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
- 23. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल/सेवा का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो संवेदक को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 24. आवेदक / संवेदक या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
- (i) सुपुर्दगी अवधि :- बोली दाता, जिसकी दरें स्वीकार की जाएगी, उसे केता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश में वर्णित तिथि एवं समय पर सामग्री/सेवा प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा। सामग्री / सेवा विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा की शर्त संख्या 30 के अनुसार कटौती की जावेगी।

8 2 g / 7417

(ii) मात्रा की सीमा — आदेश को फिर से देना :— यदि ई—बिड में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो संवेदक अपेक्षित मात्रा प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी दी गयी शर्तों एवं दरो पर दिए जा सकेगें। यदि संवेदक, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो केता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि केता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं / सेवाओं की खरीद नहीं करता है या निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल / सेवा खरीदता है, तो संवेदक किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का

हकदार नहीं होगा।

26. (क) बोली प्रतिभूति (Bid Security) के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर के पक्ष में ड्राफ्ट / बैंकर चैंक के रूप में जमा कराई जाकर डाफट / बैंकर चैंक की स्केन कॉपी बिड के साथ ऑनलाईन अपलोड कर मूल कॉपी निर्धारित समय एवं तिथि से पहले कार्यालय में जमा कराई जानी आवश्यक है।

(ख) बोली प्रतिभूति (Bid Security) **राशि का प्रतिदाय** :— असफल दरदाताओं की बोली प्रतिभूति (Bid Security) बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) बिड़ सिक्युरिटी राशि से आंशिक छूट :— उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रिजस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण—पत्र या उसकी प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपित्रत अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर उन्हें नियमानुसार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार निविदा शुल्क व बोली प्रतिभूति में छूट दी जाएगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बिड़ सिक्युरिटी प्रस्तुत करने की

आवश्यकता नहीं है।

27. बोली प्रतिमूर्ति (Bid Security)का समपहरण:— बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा :—

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

28. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अविध के भीतर संलग्न प्ररूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 2.50 प्रतिशत के बराबर परफोंमेन्स प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 07 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

Suret 2 3 1 10 700

राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

www.raj.sje@rajasthan.gov.inEmail ada.sje@rajasthan.gov.in

- (ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बिड़ सिक्युरिटी को परफोंमेन्स सिक्युरिटी की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। परफोंमेन्स सिक्युरिटी किसी भी दशा में बिड़ सिक्युरिटी से कम की नहीं होगी।
- (iii) परफॉमेन्स सिक्युरिटी पर विभाग / कार्यालय द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (iv) प्रतिभूति राशि निम्न प्रकार देय होगी :
- (क) बैंक ड्रॉफ्ट/बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।
- (ख) बैंक गारंटी
- (v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ठ हो जाने पर कि संवदेक के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- (2).**प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहत किया जा सकेगा :—
- (क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंधन किया गया हो।
- (ख) जब संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हों।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- (3). करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान संवेदक द्वारा किया जाएगा तथा विभाग/कार्यालय को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।
- 29. भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार संवेदक द्वारा वहन किये जाएगें।
- 30. (i)क्रयादेश / आपूर्ति आदेश में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
 - (ii)परिनिर्धारित नुकसानी :- परिनिर्धारित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-
 - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
 - (ग) आधी अविध से अधिक किन्तु विहित अविध के तीन चौथाई से अनाधिक अविध के लिए 7. 5 प्रतिशत
- (घ) विहित अविध की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

 वसूलियाँ:— परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Sur 3 8 2 11 6 70-1

केता अधिकारी किसी भी बोली प्रस्ताव को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, 32. स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकार्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न 33. होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले का विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप– अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह

उप-अधिकारी इस संविदा के संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या 34. संवेदक) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

बोली के कम में प्रथम अपील अधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. 35. जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

जयपूर होगे।

price fall clause: दर अनुबन्ध में दरें कीमते गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। यदि दर 36. अनुबन्ध धारक दर अनुबन्ध चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर अनुबन्ध कीमत से कम कीमत पर समान माल, सकर्मी या सेवायें देने पर उसकी कीमत कोट/कम करता है तो उस दर अनुबन्ध के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर अनुबन्ध कीमत, कीमत कम करने / कोट करने की दिनांक से स्वतः कम हो जावेगी और दरें अनुबन्ध तद्नुसार संशोधित की जावेगी। समानान्तर दर अनुबन्ध धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत से उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिये 15 दिवस का समय दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर अनुबन्ध धारक फर्म दर अनुबन्ध के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की हुई कीमत अन्य समानान्तर दर अनुबन्ध धारक फर्मो एवं मूल अनुबन्ध धारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान करने के लिये संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर अनुबन्ध फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उसके साथ आगे कोई संव्यवहार नहीं किया जावेगा।

निविदादाता को अप्रनी वित्तीय क्षमता का प्रमाण लगाना होगा जिसमें उसका गत तीन वर्षों का 37. न्यूनतम औसत टर्न ऑवर 20 लाख होने तथा वर्ष 2019-20 2020-21 तथा 2021-22 में से तीन

वर्षो की रिटर्न की प्रति सी.ए. से प्रमाणित लगानी होगी।

भुगतान:-भुगतान हेतु फर्म द्वारा तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत किया जायेगा। बिल के साथ कार्यादेश 38. की प्रति संलग्न की जायेंगी।

आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लाग् होगें।

> अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

Onny

39.

-: खुली बोली की विशिष्ठ शर्ते :-

(बोली प्रदाताओं द्वारा विशिष्ठ शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए एवं प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव में इनकी पूर्णरूपेण पालना होनी चाहिए)

प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म / कम्पनी (MAF) द्वारा संलग्न किया जाये।

- 1. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी एवं जहाँ पर वस्तुएँ आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षित हो, वहाँ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वांछित मार्क अंकित होना चाहिए।
- 2. कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आइटम्स की वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप एवं नमूनों (यदि कोई हो) के अनुसार है इस संबंध में क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
- वारंटी / गारंटी :- निविदादाता यह गांरटी देगा कि खरीदे जाने वाले उक्त 3. माल / सामान / वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से तीन माह अथवा माल / सामान / वस्तुओं के मूल निर्माता/सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स/अधिकृत डीलर्स द्वारा प्रदत की गई गांरटी/ वांरटी की अवधि, जो भी अधिक हो तक विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि 3 माह की उक्त अवधि में मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम या निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता उस नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंधन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- 4. उक्त मापदण्डों के आधार पर जिन बोलीदाताओं को योग्य माना जावेगा, केवल उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी जिसके समय एवं तिथि से बाद में ऐसे योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जायेगा।
- 5. सफल बोलीदाता फर्म द्वारा 60 कम्प्यूटर तथा 5 लेपटॉप निदेशलय, जयपुर तथा शेष 34 कम्प्यूटर्स राज्य के 33 जिलों में स्थापित 34 जिला कार्यालयों में आपूर्ति किए जायेंगे जिसकी सूची संलग्न है, जिस हेतु विभाग द्वारा अलग से कोई भूगतान

3 13 70-11

देय नहीं होगा एवं संबंधित कार्यालय से प्रमाणित सामान के इन्द्राज की प्रमाणित बिल की प्रति तथा इन्सटॉलेशन रिपार्ट के आधार पर ही भुगतान किया जायेंगा।

- 6. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- 7. जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया या व्यावहारिक हो, वहाँ प्रदाय किये गये माल/सामान/वस्तुओं का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जा सकता है, परीक्षण/जाँच पर किया गया व्यय कार्यालय/विभाग/सरकार द्वारा वहन किया जावेगा, परन्तु यदि परीक्षण/जाँच में माल/सामान/वस्तुएँ विनिर्देशों/निर्धारित मापदण्डों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर परीक्षण/जांच पर किया गया व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
- 8. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के प्रावधान के अन्तर्गत यथा आवश्यकतानुसार लागू होगें।

3

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम एवं पूर्ण पता

अतिरिक्त निदेशक (सर्तर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर

e V Jan

FOR REFRENCE PURPOSE ONLY

To be enclosed with technical Bid FINANCE BID (BOQ)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1. All the specifications below are minimum specifications and higher specifications shall be used wherever necessary/required. Deviation on higher side shall only be considered and no extra weightage shall be awarded for such deviations.
- 2. The bidder is required to submit the technical compliance statement for each item on the respective OEM's letter-head duly signed by both OEM and Bidder.
- 3. The bidder must attach MANUFACTURER'S AUTHORIZATION FORM (MAF) ANNEXURE-E for all the quoted products. Filled by OEM & submitted on OEM's Letter Head only.

Desktop Computer (94)

Item	Minimum Specification	Compliance (Yes/No)
Make offered		
Model offered		
Processor	Intel i7 (12 th Generation or higher), minimum 8 Core with minimum 2.1 GHz or higer (base Frequency), 25 MB Cache or higher	
Chipset	Compatible chipset	
Motherboard	OEM Motherboard	
Operating System	Pre-installed Genuine OEM Microsoft Windows 11 or higher Professional/Home (64bit) with OEM recovery partition/recovery DVD	
Graphics	Integrated Graphics	
Memory (RAM)	16 GB DDR4 with min. 2 DIMM Slots, Expandable up to 64 GB	

Only

3 8 1 / 74 21

Storage	512GB SSD/1 TB SSD	
Optical drive	DVD R/W	
Ports	Minimum 6 USB Ports at least 2 USB 3.0	
	ports, HDMI, audio jack for headphone &	
	Microphone	
Display	Minimum 21.5" Inch or higher, Resolution	
	1920x1080 or higher Display, TCO Certified	
Antivirus	Preloaded (Latest Version) Internet Security	
	of Trend Micro/Quick	
	Heal/Symantec/Sophos/Kespersky	
Keyboard &	OEM USB Keyboard & OEM USB 2 button	
Mouse	optical mouse with mouse pad	
Network	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet	
Interface		
Certification	RoHS Compliance, OEM certification for	
	preloaded Operating System	
Accessories	All necessary cables (Power & data cables),	
	3 Mtr CAT 6 patch cord	
Warranty	3 Years Comprehensive onsite OEM	
	warranty	

Laptop (05)

Item	Minimum Technical Specification	Compliance (Yes/No)
Make offered		
Model offered		
Processor	Intel Core i7 (12 th Generation or higher) with minimum 4 core 12 MB Cache or higher	
Operationg Pre-installed Genuine OEM Microsoft Windows System 11 or higher Professional/Home (64bit) with OEM recovery partition/ recovery DVD		
Display	14" Inch or higher +/-5%, FHD Display	
Memory (RAM)	8 GB DDR4 or higher, Expandable up to 32 GB	

Surl 3 8 16 V 70,71

Hard Dirve	1 TB SATA/ 512 GB SSD
Speaker &	Inbuilt speakers and integrated digital
Microphone	microphone
Connention	Minimum 2 USB 3.0 or higher, 1 HDMI 2.0,
Type	Headphone & Microphone combo/separate, 1
	USB type C port
Network Card	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet LAN
Wireless	Bluetooth 4.0 or higher & integrated Wi-Fi
Connectivity	802.11 b/g/n
Graphics	Integrated HD Graphics
Web Cam	HD Web Camera (Front facing)
Battery	Minimum 3 Cell 40 Whr with Minimum backup
	of 6 Hrs.
Power	Standard OEM Power Adapter
Adapter	
Antivirus	Preloaded Internet Security of Trend
	Micro/Quick Heal/Symantec/Sophos/Kespersky
Keyboard &	OEM standard Keyboard
Mouse	
Certification	RoHS Compliance, BIS, OEM certification for
	preloaded Operating System
Accessories	Carry Bag
Warranty	3 Years Comprehensive onsite OEM warranty

नोट:-

- 1. कृपया दरें BOQ में ऑनलाईन अंकित की जावें। उक्त प्रपत्र में दरें अंकित नहीं की जानी है।
- 2. कृपया दरें प्रति नग कॉलम संख्या 7 एवं 8 में ऑनलाईन अपलोड की जावें तथा कॉलम संख्या— 9 योग अंकित किया जावें।

4

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम एवं पूर्ण पता

(Sup

8 2 6

47

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behaviou to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
- (g) Disclose conflict of interest, if any: and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

(Sulf

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limted to:

- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or
- e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

8 1 7 1

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qulifications Declaration by the Bidder

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.

3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5) I/We do not have a confect of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of the bidder:
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Signature Of Bidder

2 8 2 V 7977

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

www.raj.sje@rajasthan.gov.in

Email ada.sje@rajasthan.gov.in

Appendix C: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

The designation and address of the first Appellate Authority is Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is --- Principal Secetary, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

1- Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

1- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.

2- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

3- Appeal not be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provision of confidentiality.

4- From and procedure of filing an appeal

1- An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.

2- Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

3- Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

5-Fee for filing appeal

1- Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

2- The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

6- Procedure for disposal of appeals

1- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

2- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

3- After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

4. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

FORM No. 1 [See rule 83]

2012	or and um of Appeal under the Rajasthan Transparency in Pub	lic Procurement Act,
Appe	al Noof	
Befor	e the	(T)
Appe	llate Authority)	(First/Second
1.	Particulars of appellant;	
	(I) Name of the appellant:	
	(ii) Official address, if any:	
	(iii) Residential address:	
2.	Name and address of the respondent(s);	
	(I)	
	(")	
	(ii)	
	(iii)	
	(III)	
3.	Number and date of the order appealed and the state of the order appealed and the order appealed appealed appealed and the order appealed appealed appealed and the order appe	
	Number and date of the order appealed against and name and designificer/authority who passed the and of	gnation of the
	officer/authority who passed the order(enclose copy), or a stateme or omission of the procuring Entity in courts.	nt of a decision, action
	of the procuring Entity III contravention to the provision	ons of the Act by which
1	Transition and street	
7.	If the Appellant proposes to be represented by a representative, the	e name and postal
	address of the representative:	1
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:	
0.	Grounds of appeal:	
	(Supported by an	
	affidavit)	
7.	Prayer	
	Place	
	Date	
		Appellant's
		Signature
	2	
	W 8 1 - V.	
C	Ju 2 10-1	
	경험성과 경영에 되었다. 그렇지 않고 이번 경기없는 모시나고 있어?	

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

1- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

2- If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals,

the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

3- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

1- At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

2- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except

otherwise provided in the Condition of contract.

3- In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the suppler.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

3 L Jan Bid document for computer with man

ANNEXURE-E: MANUFACTURER'S AUTHORIZATION FORM (MAF) (Indicative Format, to be filled by OEM & submitted on OEM's Letter Head only)

The Director, Social Justice and Empowerment Department,

mpowerment Department, hawan, Rajmahal Residency Area
Issue of the Manufacturer's Authorisation Form (MAF). NIB/ RFP Ref. No dated
ress of the OEM} who are established and reputed original equipment s) having factories at {addresses of manufacturing location} do hereby who is our {Distributor/Channel Partner/ reafter referred as bidder) to bid, negotiate and conclude the contract ne aforementioned reference for the following Hardware/Software
on the details of all the proposed product(s) with their make/model.} I vide Comprehensive onsite OEM Warranty for the offered Hardware/ ed above for 3 Years. We hereby confirm that the offered Hardware/ to be declared as End-of-Sale within next 3 years from the date of bid by confirm that the offered Hardware/ Software are not likely to be vice/ Support within next 3 years from the date of bid submission. We have direct back-to-back service support agreement with the bidder of RFP. Bidder/GoR/Department will be able to log a support ticket to get telephonic/remote support directly from us, as required.
ntact No.:

Bid document for computer with man

विभागीय जिलाधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

जयपुर संभाग क्र सं जिला / जिला कार्यालय एस.टी.डी. नाम ऑफिस निवास/मोबाईल उप निदेशक जयपुर शहर 01 0141 श्री बी पी चन्देल 2786442 99283-09095 उप निदेशक जयपुर ग्रामीण 02 श्री अरविन्द कुमार सैनी 0141 2700466 94142-80256 03 सहायक निदेशक अलवर श्री रविकान्त मेघवाल 0144 2344012 94143-94070 04 सहायक निदेशक दौसा 01427 श्री करतार मीना 223440 94143-77915 सहायक निदेशक सीकर 05 01572 श्री ओ.पी. राहड 248940 94611-17772 सहायक निदेशक झुंझुनू 06 01592 श्री मोहम्मद अशफाक 232884 99831-13077 बीकानेर संभाग उप निदेशक बीकानेर 07 0151 श्री लीलाधर पंवार 2226681 99284-39188 सहायक निदेशक श्रीगंगानगर 08 0154 श्री सुरेन्द्र कुमार पूनिया 2463582 94149-83056 09 सहायक निदेशक चुरू 01562 श्री अरविन्द ओला 250943 94135-38600 10 सहायक निदेशक हनुमानगढ 01552 श्री विक्रम सिंह 261187 96803-89117 अजमेर संभाग उप निदेशक, अजमेर 11 0145 श्री प्रफुल चौबीसा 2623044 94141-58300 12 सहायक निदेशक, टोंक श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर 01432 254597 98878-68601 13 सहा निदेशक, भीलवाड़ा श्री सत्यपाल 01482 232678 95097-85258 14 सहायक निदेशक नागौर 01582 श्री किशनाराम लोल 240798 99837-74108 कोटा संभाग उप निदेशक कोटा 15 0744 श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल 2325491 94140-21710 उप निदेशक, बारां 16 07453 श्री अमल चौधरी 237121 70146-09824 17 सहायक निदेशक बून्दी श्री राकेश वर्मा 0747 2940127 96805-85668 18 सहायक निदेशक झालावाड श्री गोरीशंकर मीणा 07432 231215 99282-82646 उदयपुर संभाग उप निदेशक, उदयपूर 19 0294 श्री मान्धाता सिंह 2410772 94141-68330 सहायक निदेशक, डूंगरपुर 20 02964 श्री अशोक कुमार शर्मा 232264 94143-27034 21 सहायक निदेशक राजसमन्द 02952 श्री जय प्रकाश शर्मा 221169 97821-92515 सहायक निदेशक, बासंवाड़ा 22 श्रीमती हिमांगी निनामा 02962 254244 99285-18866 सहायक निदेशक, चित्तौड़गढ 23 श्री विकास खटीक 01472 241083 74258-08892 सहायक निदेशक प्रतापगढ 24 01478 श्री तुलसी राम आमेटा 221535 98286-21972 जोधपुर संभाग उप निदेशक, जोधपुर 25 श्री अनिल व्यास 0291 233473 97849-35724 26 सहायक निदेशक, जैसलमेर 02992 श्री हेमाराम जरमल 252517 77279-94151 सहायक निदेशक बाडमेर 27 श्री पुखराज चौधरी(चार्ज) 02982 230009 95877-75795 सहायक निदेशक, सिरोही 28 02972 श्री बाबूलाल गारासिया 222544 94603-13105 29 सहायक निदेशक जालौर श्री सुभाष चन्द्र मणि 02973 222486 87095-00018 30 सहायक निदेशक, पाली 02932 श्री ज्योति प्रकाश अरोड़ा 222706 75973-69186 भरतपुर संभाग 31 उप निदेशक, भरतपुर श्री जगदीश चांवरिया 05644 223576 98291-45496 सहायक निदेशक धौलपुर 32 05642 श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत 240878 99299-89888 सहायक निदेशक सवाई माधोपुर 33 श्रीमती मीना आर्य 07462 220467 97830-69188 34 सहायक निदेशक, करौली 07464 श्रीमती रिंकी किराड 251076 99833-93254